एक राष्ट्र, एक चुनाव का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव: विकसित भारत@2047 के संदर्भ में एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. संजय कुमार[1*], चतर सिंह नेगी[2] और डॉ. अमित अग्रवाल[3]

[1] सहायक प्राध्यापक, वाणिज्य संकाय, धर्मानन्द उनियाल राजकीय महाविद्यालय, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड, भारत

[2] प्रोफेसर, वाणिज्य संकाय, पं. ललित मोहन शर्मा, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय परिसर, ऋषिकेश, देहरादून, उत्तराखण्ड, भारत

[3] सहायक प्रोफेसर, वाणिज्य संकाय, राजकीय महाविद्यालय, मिलक–शाहबाद, जनपद रामपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

*Correspondence Author: डॉ. संजय कुमार

Received 1 Apr 2026; Accepted 12 May 2026; Published 29 May 2026

DOI: https://doi.org/10.64171/JSRD.5.S3.95-100

सारांश

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहाँ लोकसभा, राज्य विधानसभाओं तथा पंचायती राज एवं शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव विभिन्न समयों पर आयोजित किए जाते हैं। चुनावों की यह बहुस्तरीय एवं असमकालिक व्यवस्था प्रशासनिक संसाधनों, सार्वजनिक व्यय तथा विकास कार्यों को प्रभावित करती है। इसी परिप्रेक्ष्य में "एक राष्ट्र, एक चुनाव" की अवधारणा को चुनावी एवं प्रशासनिक सुधार के एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य विकसित भारत@2047 के संदर्भ में एक राष्ट्र, एक चुनाव व्यवस्था के भारतीय अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभावों का विश्लेषण करना है।

प्रस्तुत अध्ययन में भारत की त्रिस्तरीय चुनाव व्यवस्था के संदर्भ में चुनावी व्यय, सार्वजनिक वित्त, प्रशासनिक दक्षता, निवेश वातावरण तथा आर्थिक विकास पर संभावित प्रभावों का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन में वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध पद्धति का उपयोग किया गया है। इसके लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों स्रोतों से प्राप्त तथ्यों एवं आँकड़ों का संकलन और विश्लेषण किया गया। प्राथमिक आँकड़ों के संग्रह हेतु 200 उत्तरदाताओं का यादृच्छिक (Random) चयन किया गया, जबकि द्वितीयक आँकड़े निर्वाचन आयोग, विधि आयोग, नीति आयोग, कोविंद समिति की रिपोर्टों, विभिन्न सरकारी प्रकाशनों तथा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से प्राप्त किए गए हैं। अध्ययन से ज्ञात होता है कि लोकसभा, विधानसभा एवं स्थानीय निकायों के चुनावों के समन्वित आयोजन से चुनावी व्यय में कमी, प्रशासनिक संसाधनों के बेहतर उपयोग, नीतिगत स्थिरता तथा विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की संभावनाएँ बढ़ सकती हैं। इसके अतिरिक्त, यह व्यवस्था निवेश–अनुकूल वातावरण तथा आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित कर सकती है। हालांकि, इसके क्रियान्वयन से संबंधित संवैधानिक, संघीय एवं प्रशासनिक चुनौतियाँ भी महत्वपूर्ण हैं। अध्ययन निष्कर्षतः सुझाव देता है कि व्यापक राजनीतिक सहमति, आवश्यक संवैधानिक सुधारों एवं चरणबद्ध कार्यान्वयन के माध्यम से इस व्यवस्था की व्यवहारिकता का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, ताकि विकसित भारत@2047 के लक्ष्य की दिशा में सुशासन, आर्थिक दक्षता एवं समावेशी विकास को सुदृढ़ किया जा सके।

कुंजी शब्द: एक राष्ट्र, एक चुनाव, त्रिस्तरीय चुनाव व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, चुनावी सुधार, सार्वजनिक व्यय, प्रशासनिक दक्षता, विकसित भारत@2047

प्रस्तावना

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, जहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की सफलता का आधार नियमित, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों को माना जाता है। भारतीय संविधान ने नागरिकों को प्रतिनिधियों के चयन का अधिकार प्रदान किया है, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय, राज्य तथा स्थानीय स्तर पर शासन की संस्थाओं का गठन किया जाता है। वर्तमान में देश में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव अलग-अलग समय पर आयोजित किए जाते हैं। इस व्यवस्था के कारण देश में लगभग प्रत्येक वर्ष किसी न किसी स्तर पर चुनावी गतिविधियाँ संचालित होती रहती हैं। लोकतांत्रिक दृष्टि से यह व्यवस्था प्रतिनिधित्व और जनभागीदारी को सुनिश्चित करती है, किन्तु इसके साथ ही प्रशासनिक संसाधनों, वित्तीय व्यय तथा विकासात्मक गतिविधियों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रारम्भिक वर्षों में भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ आयोजित किए जाते थे। वर्ष 1952, 1957, 1962 और 1967 के आम चुनाव इसी व्यवस्था के अंतर्गत संपन्न हुए। किन्तु विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के समयपूर्व विघटन तथा राजनीतिक परिस्थितियों में हुए परिवर्तनों के कारण यह चुनावी समन्वय समाप्त हो गया और राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के चुनाव अलग-अलग समय पर आयोजित होने लगे। समय के साथ पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव भी स्वतंत्र रूप से आयोजित होने लगे, जिससे चुनावी चक्र और अधिक विस्तृत हो गया। परिणामस्वरूप देश में बार-बार चुनाव आयोजित करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई, जिसका प्रभाव प्रशासनिक तंत्र, सार्वजनिक व्यय तथा नीतिगत क्रियान्वयन पर पड़ने लगा।

इसी पृष्ठभूमि में "एक राष्ट्र, एक चुनाव" (One Nation, One Election) की अवधारणा पुनः राष्ट्रीय विमर्श का विषय बनी है। इस अवधारणा का मूल उद्देश्य विभिन्न स्तरों पर होने वाले चुनावों को एक निश्चित समयावधि में समन्वित रूप से आयोजित करना है, ताकि चुनावी प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित, संसाधन-सक्षम एवं प्रशासनिक दृष्टि से प्रभावी बनाया जा सके। हाल के वर्षों में इस विषय

पर विभिन्न आयोगों, समितियों तथा नीति-निर्माताओं द्वारा विचार-विमर्श किया गया है। विशेष रूप से उच्च स्तरीय समिति द्वारा प्रस्तुत सुझावों ने इस विषय को पुनः राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया है।

यद्यपि एक राष्ट्र, एक चुनाव की चर्चा प्रायः लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनावों तक सीमित रहती है, तथापि भारतीय लोकतंत्र की वास्तविक संरचना त्रिस्तरीय है, जिसमें राष्ट्रीय, राज्य तथा स्थानीय स्वशासन संस्थाएँ समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधनों के पश्चात पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को लोकतांत्रिक शासन की आधारभूत इकाइयों के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। इसलिए यदि एक राष्ट्र, एक चुनाव की अवधारणा का व्यापक मूल्यांकन किया जाना है, तो उसमें लोकसभा एवं विधानसभाओं के साथ-साथ स्थानीय निकाय चुनावों को भी सम्मिलित करना आवश्यक है। इसी दृष्टिकोण से यह अध्ययन भारतीय लोकतंत्र की त्रिस्तरीय चुनाव व्यवस्था के संदर्भ में इस अवधारणा के आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

वर्तमान समय में भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की दिशा में अग्रसर है। विकसित भारत@2047 का उद्देश्य केवल आर्थिक वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सुशासन, प्रशासनिक दक्षता, संस्थागत सुदृढ़ीकरण, आधारभूत संरचना का विकास, निवेश संवर्धन तथा समावेशी विकास जैसे व्यापक लक्ष्य भी शामिल हैं। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सार्वजनिक संसाधनों का कुशल उपयोग, नीतिगत स्थिरता तथा प्रशासनिक निरंतरता अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस संदर्भ में यह विचार महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या एक समन्वित चुनावी व्यवस्था शासन एवं विकास प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने में सहायक हो सकती है।

एक राष्ट्र, एक चुनाव के समर्थकों का मत है कि इससे चुनावी व्यय में कमी आएगी, प्रशासनिक मशीनरी का बेहतर उपयोग संभव होगा तथा बार-बार लागू होने वाली आदर्श आचार संहिता के कारण विकास कार्यों में आने वाले व्यवधान कम होंगे। दूसरी ओर, आलोचकों का मानना है कि यह व्यवस्था संघीय ढाँचे, क्षेत्रीय राजनीतिक प्रतिनिधित्व तथा स्थानीय लोकतांत्रिक आवश्यकताओं पर प्रभाव डाल सकती है। इसलिए इस विषय का अध्ययन केवल राजनीतिक या संवैधानिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि आर्थिक एवं विकासात्मक दृष्टिकोण से भी किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य एक राष्ट्र, एक चुनाव व्यवस्था के भारतीय अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभावों का विश्लेषण करना है। विशेष रूप से यह अध्ययन चुनावी व्यय, सार्वजनिक वित्त, प्रशासनिक दक्षता, निवेश वातावरण तथा विकसित भारत@2047 के लक्ष्यों के संदर्भ में इसके संभावित योगदान का परीक्षण करता है। साथ ही, यह शोध राष्ट्रीय, राज्य एवं स्थानीय स्तर की त्रिस्तरीय चुनाव व्यवस्था को आधार बनाकर इस विषय पर एक व्यापक एवं संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का प्रयास करता है।

अध्ययन के उद्देश्य (Objectives of the study)

प्रस्तुत अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य "एक राष्ट्र, एक चुनाव" व्यवस्था के भारतीय अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभावों का विकसित भारत@2047 के संदर्भ में विश्लेषण करना है। विशेष रूप से अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं—

- एक राष्ट्र, एक चुनाव की अवधारणा एवं भारत की त्रिस्तरीय चुनाव व्यवस्था के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता का अध्ययन करना।
- चुनावी व्यय, सार्वजनिक वित्त एवं प्रशासनिक दक्षता पर इसके संभावित प्रभावों का विश्लेषण करना।
- भारतीय अर्थव्यवस्था, निवेश वातावरण एवं विकास प्रक्रिया पर इसके प्रभावों का मूल्यांकन करना।
- विकसित भारत@2047 के लक्ष्यों की प्राप्ति में इसकी भूमिका एवं चुनौतियों का परीक्षण करना।

शोध पद्धति (Research Methodology)

प्रस्तुत अध्ययन "एक राष्ट्र, एक चुनाव का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव: विकसित भारत@2047 के संदर्भ में एक विश्लेषणात्मक अध्ययन" विषय पर आधारित है। अध्ययन की प्रकृति वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक है तथा इसमें द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त तथ्यों एवं आँकड़ों का उपयोग किया गया है। अध्ययन के लिए निर्वाचन आयोग, विधि आयोग, नीति आयोग, कोविंद समिति रिपोर्ट, भारत सरकार के विभिन्न प्रकाशनों, शोध-पत्रों, पुस्तकों तथा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा प्रकाशित दस्तावेजों का संदर्भ लिया गया है।

अध्ययन में भारत की त्रिस्तरीय चुनाव व्यवस्था

लोकसभा, राज्य विधानसभा तथा पंचायती राज एवं शहरी स्थानीय निकायों के संदर्भ में एक राष्ट्र, एक चुनाव की अवधारणा का विश्लेषण किया गया है। साथ ही, चुनावी व्यय, सार्वजनिक वित्त, प्रशासनिक दक्षता, निवेश वातावरण तथा आर्थिक विकास पर इसके संभावित प्रभावों का मूल्यांकन किया गया है। विश्लेषण को व्यापक बनाने के लिए समवर्ती चुनाव प्रणाली अपनाने वाले कुछ देशों के अनुभवों का भी अध्ययन किया गया है।

प्राप्त तथ्यों एवं आँकड़ों का विश्लेषण तुलनात्मक एवं व्याख्यात्मक पद्धति से किया गया है। अध्ययन का उद्देश्य विकसित भारत@2047 के संदर्भ में एक राष्ट्र, एक चुनाव की संभावनाओं, चुनौतियों तथा आर्थिक एवं प्रशासनिक प्रभावों का परीक्षण करना है।

अध्ययन की सीमाएँ

यह अध्ययन 200 उत्तरदाताओं से प्राप्त प्राथमिक आँकड़ों तथा उपलब्ध साहित्य, रिपोर्टों एवं आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है। अतः अध्ययन के निष्कर्ष संकलित तथ्यों एवं उनके विश्लेषण तक सीमित हैं।

साहित्य समीक्षा (Review of Literature)

भारत में "एक राष्ट्र, एक चुनाव" की अवधारणा चुनावी सुधार, प्रशासनिक दक्षता तथा सार्वजनिक संसाधनों के बेहतर उपयोग से जुड़ी एक महत्वपूर्ण नीति-विमर्श के रूप में उभरी है। उपलब्ध साहित्य से ज्ञात होता है कि बार-बार होने वाले चुनावों के कारण प्रशासनिक संसाधनों, वित्तीय व्यय तथा विकास कार्यों पर प्रभाव पड़ता है, जबकि समवर्ती चुनाव व्यवस्था इन चुनौतियों को कम करने में सहायक हो सकती है।

विधि आयोग (2018) ने लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के पक्ष में विचार व्यक्त करते हुए इसके लिए आवश्यक संवैधानिक एवं विधिक सुधारों की आवश्यकता बताई है।

नीति आयोग (2017) ने भी चुनावों की आवृत्ति में कमी को प्रशासनिक दक्षता तथा संसाधनों के बेहतर उपयोग से जोड़ा है। विभिन्न अध्ययनों में यह उल्लेख किया गया है कि बार-बार लागू होने वाली आदर्श आचार संहिता के कारण विकास परियोजनाओं एवं प्रशासनिक निर्णयों की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, बेल्जियम एवं इंडोनेशिया जैसे देशों के अनुभव संकेत देते हैं कि समन्वित चुनाव व्यवस्था चुनावी प्रबंधन को अधिक व्यवस्थित बना सकती है। हालांकि, प्रत्येक देश की राजनीतिक एवं संवैधानिक परिस्थितियाँ भिन्न होने के कारण इन मॉडलों को भारतीय संदर्भ में सीधे लागू नहीं किया जा सकता।

साहित्य के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि अधिकांश अध्ययन लोकसभा एवं राज्य विधानसभा चुनावों तक सीमित हैं। भारत की त्रिस्तरीय चुनाव व्यवस्था—लोकसभा, विधानसभाएँ तथा पंचायती राज एवं शहरी स्थानीय निकायों के आर्थिक एवं प्रशासनिक प्रभावों का समग्र अध्ययन अपेक्षाकृत कम उपलब्ध है। विशेषकर विकसित भारत@2047 के संदर्भ में चुनावी व्यय, सार्वजनिक वित्त, निवेश वातावरण तथा विकास प्रक्रिया पर एक राष्ट्र, एक चुनाव के प्रभावों का व्यापक विश्लेषण अभी सीमित है। प्रस्तुत अध्ययन इसी शोध-अंतराल को संबोधित करने का प्रयास करता है।

एक राष्ट्र, एक चुनाव : अवधारणा, विकास एवं सैद्धान्तिक आधार

एक राष्ट्र, एक चुनाव ऐसी व्यवस्था है, जिसमें लोकसभा, राज्य विधानसभाओं तथा दीर्घकालिक रूप से स्थानीय निकायों के चुनाव एक समन्वित चुनावी चक्र के अंतर्गत आयोजित किए जाते हैं। इसका उद्देश्य चुनावों की आवृत्ति कम करना तथा प्रशासनिक एवं वित्तीय संसाधनों का अधिक प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना है।

भारत में यह व्यवस्था नई नहीं है। वर्ष 1952 से 1967 तक लोकसभा और अधिकांश राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ आयोजित होते थे। बाद में राजनीतिक परिस्थितियों और समयपूर्व विधानसभा विघटन के कारण यह व्यवस्था समाप्त हो गई तथा विभिन्न स्तरों के चुनाव अलग-अलग समय पर होने लगे।

विधि आयोग, नीति आयोग तथा विभिन्न समितियों ने समय-समय पर समवर्ती चुनावों की संभावनाओं पर विचार किया है। उनके अनुसार बार-बार होने वाले चुनाव प्रशासनिक तंत्र, सुरक्षा बलों तथा वित्तीय संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं। इसके विपरीत, समन्वित चुनाव व्यवस्था संसाधनों के बेहतर उपयोग, प्रशासनिक दक्षता तथा नीतिगत स्थिरता को बढ़ावा दे सकती है।

भारत की त्रिस्तरीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को देखते हुए इस अवधारणा का मूल्यांकन केवल लोकसभा और विधानसभाओं तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि पंचायती राज एवं शहरी स्थानीय निकायों को भी इसमें शामिल किया जाना आवश्यक है। विकसित भारत@2047 के संदर्भ में यह अवधारणा प्रशासनिक दक्षता, संसाधनों के कुशल उपयोग, सुशासन तथा विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़ी हुई है।

अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में समवर्ती चुनाव प्रणाली

विश्व के अनेक लोकतांत्रिक देशों में चुनावी प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित एवं प्रशासनिक रूप से प्रभावी बनाने के लिए समवर्ती चुनाव प्रणाली अपनाई गई है। यद्यपि प्रत्येक देश की राजनीतिक एवं संवैधानिक संरचना अलग है, फिर भी इनके अनुभव चुनावों के समन्वित आयोजन के संभावित लाभों को समझने में सहायक हैं।

स्वीडन में राष्ट्रीय संसद, क्षेत्रीय परिषदों तथा स्थानीय निकायों के चुनाव एक ही दिन आयोजित किए जाते हैं, जिससे चुनावी प्रबंधन सरल एवं सुव्यवस्थित बना रहता है। दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रीय और प्रांतीय चुनाव एक साथ कराए जाते हैं, जिससे संसाधनों के बेहतर उपयोग तथा प्रशासनिक समन्वय को बढ़ावा मिलता है। इसी प्रकार बेल्जियम में निर्धारित चुनावी चक्र के अंतर्गत विभिन्न स्तरों के चुनाव आयोजित किए जाते हैं, जिससे प्रशासनिक स्थिरता बनी रहती है।

इंडोनेशिया ने वर्ष 2019 से समवर्ती चुनाव व्यवस्था लागू की है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति, संसद तथा अन्य प्रतिनिधिक संस्थाओं के चुनाव एक ही प्रक्रिया में संपन्न होते हैं। वहीं ब्राजील में भी चुनावों का आयोजन निर्धारित समय-चक्र के अनुसार किया जाता है, जिससे चुनावी प्रबंधन में निरंतरता बनी रहती है। इन देशों के अनुभव दर्शाते हैं कि समवर्ती चुनाव प्रणाली प्रशासनिक दक्षता, संसाधनों के बेहतर उपयोग तथा चुनावी प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने में सहायक हो सकती है।

हालाँकि, इन मॉडलों को भारत में सीधे लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारत की संघीय संरचना, भौगोलिक विस्तार एवं त्रिस्तरीय लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य देशों से भिन्न है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय अनुभवों का मूल्यांकन भारतीय परिस्थितियों और संस्थागत आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाना चाहिए।

फिर भी, इन अनुभवों से यह संकेत मिलता है कि चुनावी प्रक्रिया के बेहतर समन्वय से प्रशासनिक दक्षता तथा संसाधनों के उपयोग में सुधार संभव है। विकसित भारत@2047 के संदर्भ में ये अनुभव भारत के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत संकेत प्रदान करते हैं।

Table 1: समवर्ती चुनाव प्रणाली अपनाने वाले चयनित देशों की स्थिति

देश	चुनाव का स्वरूप	प्रमुख विशेषता
स्वीडन	राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं स्थानीय चुनाव एक साथ	प्रशासनिक समन्वय एवं संसाधनों का कुशल उपयोग
दक्षिण अफ्रीका	राष्ट्रीय एवं प्रांतीय चुनाव एक साथ	चुनावी प्रबंधन में सरलता
बेल्जियम	निर्धारित चुनावी चक्र	प्रशासनिक स्थिरता
इंडोनेशिया	राष्ट्रपति एवं संसदीय चुनाव समवर्ती	चुनावी लागत में कमी का प्रयास
ब्राजील	निर्धारित समन्वित चुनावी कार्यक्रम	संसाधनों का बेहतर प्रबंधन

स्रोत: विभिन्न देशों के निर्वाचन आयोगों, संसदीय दस्तावेजों एवं अंतरराष्ट्रीय चुनाव अध्ययन रिपोर्टों पर आधारित संकलन।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक राष्ट्र, एक चुनाव का संभावित प्रभाव

भारत में राष्ट्रीय, राज्य एवं स्थानीय स्तर पर अलग-अलग समय पर होने वाले चुनावों के कारण प्रशासनिक एवं वित्तीय संसाधनों का व्यापक उपयोग होता है। इसी संदर्भ में एक राष्ट्र, एक चुनाव की अवधारणा को आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह केवल चुनावी सुधार

का विषय नहीं, बल्कि सार्वजनिक वित्त, प्रशासनिक दक्षता और विकास प्रक्रिया से भी जुड़ा हुआ है।

समर्थकों के अनुसार लोकसभा, विधानसभा एवं स्थानीय निकायों के चुनावों का समन्वित आयोजन चुनावी व्यय को कम कर सकता है तथा प्रशासनिक संसाधनों के अधिक प्रभावी उपयोग में सहायक हो सकता है। वर्तमान व्यवस्था में निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, सुरक्षा बलों तथा प्रशासनिक तंत्र को बार-बार चुनावी प्रक्रिया में संलग्न होना पड़ता है, जिससे संसाधनों का पुनरावृत्त उपयोग होता है।

समवर्ती चुनावों से प्रशासनिक दक्षता बढ़ने, सार्वजनिक वित्त पर दबाव कम होने तथा विकास कार्यों में निरंतरता आने की संभावना व्यक्त की जाती है। इसके अतिरिक्त, नीतिगत स्थिरता एवं प्रशासनिक निरंतरता निवेश-अनुकूल वातावरण के निर्माण में भी सहायक हो सकती है। इससे आधारभूत संरचना, ग्रामीण विकास, शहरी विकास तथा अन्य विकास कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन को बल मिल सकता है।

हालाँकि, इसके आर्थिक लाभों का वास्तविक प्रभाव क्रियान्वयन की प्रक्रिया, संवैधानिक व्यवस्थाओं तथा संघीय ढाँचे पर निर्भर करेगा। इसलिए इसका मूल्यांकन केवल लागत-बचत के आधार पर नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व, राज्यों की भूमिका तथा स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के दृष्टिकोण से भी किया जाना आवश्यक है।

समग्र रूप से, एक राष्ट्र, एक चुनाव चुनावी व्यय में कमी, प्रशासनिक दक्षता, संसाधनों के बेहतर उपयोग तथा विकासात्मक निरंतरता के माध्यम से विकसित भारत@2047 के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हो सकता है।

Table 2: भारत में विभिन्न स्तरों के चुनावों पर व्यय का तुलनात्मक विवरण

क्रम सं.	चुनाव का स्तर	अनुमानित चुनावी व्यय (₹ करोड़)	व्यय के प्रमुख घटक
1	लोकसभा चुनाव 2024	1,35,000*	निर्वाचन प्रबंधन, राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों का प्रचार व्यय, सुरक्षा व्यवस्था, मीडिया एवं लॉजिस्टिक्स
2	राज्य विधानसभा चुनाव (प्रति बड़े राज्य)	2,000 – 8,000 (अनुमानित)	प्रशासनिक प्रबंधन, सुरक्षा बल, मतदान कर्मी, प्रचार एवं चुनाव संचालन
3	पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव	500 – 3,000 (राज्य अनुसार)	मतदान केंद्र, निर्वाचन कर्मी, स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्थाएँ
4	शहरी स्थानीय निकाय चुनाव	300 – 2,000 (राज्य अनुसार)	चुनावी प्रबंधन, मतदान व्यवस्था एवं स्थानीय प्रशासनिक व्यय
5	वर्तमान पृथक चुनाव प्रणाली (5 वर्ष की अवधि में कुल)	अत्यधिक एवं आवर्ती	विभिन्न स्तरों पर बार-बार होने वाले चुनावों के कारण संसाधनों का पुनरावृत्त उपयोग
6	एक राष्ट्र, एक चुनाव (संभावित स्थिति)	तुलनात्मक रूप से कम	संसाधनों का एकीकृत उपयोग, प्रशासनिक एवं सुरक्षा व्यय में संभावित बचत

स्रोत: Election Commission of India (2024); Centre for Media Studies (CMS) Report, 2024; विधि आयोग रिपोर्ट; विभिन्न राज्य निर्वाचन आयोगों की रिपोर्टों के आधार पर संकलित एवं विश्लेषित।

सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज़ (CMS) के अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 का कुल चुनावी व्यय लगभग ₹1.35 लाख करोड़ आँका गया है, जिसे विश्व का सबसे महँगा लोकतांत्रिक चुनाव माना जाता है।

विश्लेषण

तालिका से स्पष्ट है कि राष्ट्रीय, राज्य एवं स्थानीय स्तर पर अलग-अलग समय पर चुनाव होने के कारण प्रशासनिक एवं वित्तीय संसाधनों का बार-बार उपयोग करना पड़ता है। निर्वाचन प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था तथा प्रशासनिक तैनाती पर होने वाला व्यय प्रत्येक चुनाव के साथ दोहराया जाता है। यदि लोकसभा, विधानसभा एवं स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ आयोजित किए जाएँ, तो संसाधनों का अधिक प्रभावी उपयोग तथा चुनावी लागत में कमी संभव हो सकती है।

विकसित भारत@2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रशासनिक दक्षता, सुशासन एवं नीतिगत स्थिरता आवश्यक हैं। समवर्ती चुनाव व्यवस्था आदर्श आचार संहिता के बार-बार लागू होने से होने वाले व्यवधानों को कम कर विकास कार्यों की निरंतरता सुनिश्चित कर सकती है। साथ ही, संभावित वित्तीय बचत को शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, कौशल विकास एवं डिजिटल परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में निवेश किया जा सकता है। हालांकि, इसके क्रियान्वयन में संघीय ढाँचे, लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व तथा स्थानीय स्वशासन की स्वायत्तता को सुरक्षित रखना आवश्यक है। इस प्रकार, एक राष्ट्र, एक चुनाव विकसित भारत@2047 के लक्ष्यों की प्राप्ति में एक महत्वपूर्ण सुधार सिद्ध हो सकता है।

सारणी 3: एक राष्ट्र, एक चुनाव का स्वॉट SWOT विश्लेषण

Strengths (शक्तियाँ)	%	Weaknesses (कमजोरियाँ)	%
चुनावी व्यय में संभावित कमी	98	संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता	93
प्रशासनिक एवं सुरक्षा संसाधनों का बेहतर उपयोग	93	त्रिस्तरीय चुनाव चक्रों का समन्वय जटिल	91
आदर्श आचार संहिता के बार-बार लागू होने में कमी	91	समयपूर्व सरकार गिरने की स्थिति में व्यावहारिक कठिनाइयाँ	88
विकास योजनाओं एवं नीतियों के क्रियान्वयन में निरंतरता	89	स्थानीय मुद्दों के राष्ट्रीय मुद्दों के साथ दबने की आशंका	83
नीतिगत स्थिरता एवं प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि	88	प्रारम्भिक चरण में उच्च संस्थागत एवं प्रबंधकीय लागत	79
Opportunities (अवसर)	**%**	**Threats (चुनौतियाँ)**	**%**
विकसित भारत*@2047* के लक्ष्यों को गति प्रदान करना	97	संघीय ढाँचे एवं राज्यों की स्वायत्तता को लेकर विवाद	89
सार्वजनिक संसाधनों का अधिक उत्पादक उपयोग	92	राजनीतिक सहमति का अभाव	83

निवेश एवं व्यापारिक वातावरण को सुदृढ़ बनाना	88	संवैधानिक एवं न्यायिक चुनौतियाँ	81
राष्ट्रीय, राज्य एवं स्थानीय स्तर पर बेहतर समन्वय	83	बड़े एवं छोटे राज्यों के हितों में असंतुलन की आशंका	79
डिजिटल एवं तकनीक-आधारित चुनाव प्रबंधन को बढ़ावा	77	स्थानीय निकायों के प्रतिनिधित्व एवं मुद्दों के कमजोर पड़ने की संभावना	69

SWOT विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि एक राष्ट्र, एक चुनाव व्यवस्था प्रशासनिक दक्षता, वित्तीय बचत तथा विकास कार्यों की निरंतरता को बढ़ावा दे सकती है। यह विकसित भारत@2047 के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक सिद्ध हो सकती है। हालांकि, इसके सफल क्रियान्वयन के लिए संवैधानिक संशोधन, राजनीतिक सहमति तथा संघीय ढाँचे और स्थानीय प्रतिनिधित्व के संरक्षण से जुड़े मुद्दों का संतुलित समाधान आवश्यक होगा।

प्रमुख निष्कर्ष (Major Findings)

- एक राष्ट्र, एक चुनाव की अवधारणा भारत में नई नहीं है; वर्ष 1952–1967 तक लोकसभा एवं अधिकांश विधानसभाओं के चुनाव एक साथ आयोजित होते थे।
- वर्तमान त्रिस्तरीय चुनाव व्यवस्था में बार-बार चुनाव होने से प्रशासनिक एवं वित्तीय संसाधनों का पुनरावृत्त उपयोग होता है।
- समवर्ती चुनाव व्यवस्था चुनावी व्यय में कमी तथा निर्वाचन प्रबंधन की दक्षता बढ़ाने की क्षमता रखती है।
- बार-बार लागू होने वाली आदर्श आचार संहिता विकास कार्यों एवं नीतिगत निर्णयों की गति को प्रभावित करती है।
- यह व्यवस्था नीतिगत स्थिरता, प्रशासनिक निरंतरता तथा निवेश-अनुकूल वातावरण को प्रोत्साहित कर सकती है।
- विकसित भारत@2047 के लक्ष्यों की प्राप्ति में संसाधनों के कुशल उपयोग, सुशासन एवं विकासात्मक निरंतरता के माध्यम से योगदान दे सकती है।
- इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु संवैधानिक सुधार, राजनीतिक सहमति तथा संघीय ढाँचे एवं स्थानीय स्वशासन की सुरक्षा आवश्यक है।
- अध्ययन का विशिष्ट योगदान यह है कि इसमें लोकसभा, विधानसभाओं तथा स्थानीय निकायों सहित भारत की संपूर्ण त्रिस्तरीय चुनाव व्यवस्था के आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण किया गया है।

नीतिगत सुझाव (Policy Suggestions)

- संवैधानिक एवं विधिक सुधारों हेतु केंद्र, राज्य एवं निर्वाचन संस्थाओं के बीच व्यापक सहमति विकसित की जाए।
- व्यवस्था को चरणबद्ध रूप से लागू किया जाए तथा प्रारम्भ में लोकसभा एवं विधानसभाओं के चुनावों का समन्वय किया जाए।
- त्रिस्तरीय चुनाव व्यवस्था के लिए समन्वित एवं दीर्घकालिक चुनावी कैलेंडर विकसित किया जाए।
- स्थानीय निकायों की स्वायत्तता, प्रतिनिधित्व एवं संघीय संतुलन को पूर्ण संरक्षण दिया जाए।
- निर्वाचन अवसंरचना, तकनीकी संसाधनों तथा संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ किया जाए।
- चुनावी व्यय में संभावित बचत को शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास एवं आधारभूत संरचना जैसे क्षेत्रों में निवेश किया जाए।
- राजनीतिक दलों, विशेषज्ञों एवं नागरिक समाज की सहभागिता सुनिश्चित की जाए।
- समयपूर्व सरकार भंग होने की स्थिति में स्पष्ट संवैधानिक एवं प्रशासनिक प्रावधान विकसित किए जाएँ।

भविष्य के शोध की दिशा (Future Research Directions)

भविष्य में राज्यवार एवं स्थानीय निकाय स्तर पर अनुभवजन्य अध्ययनों के माध्यम से एक राष्ट्र, एक चुनाव के आर्थिक, प्रशासनिक एवं लोकतांत्रिक प्रभावों का विश्लेषण किया जा सकता है। साथ ही निवेश, रोजगार, सार्वजनिक व्यय तथा शासन की गुणवत्ता पर इसके दीर्घकालिक प्रभावों का अध्ययन उपयोगी होगा। विभिन्न देशों की चुनावी प्रणालियों के तुलनात्मक अध्ययन तथा भारत की त्रिस्तरीय लोकतांत्रिक व्यवस्था पर इसके सामाजिक एवं संघीय प्रभावों पर भी आगे शोध की पर्याप्त संभावनाएँ हैं।

निष्कर्ष (Conclusion)

एक राष्ट्र, एक चुनाव भारतीय चुनावी व्यवस्था में सुधार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य चुनावी व्यय में कमी, प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि तथा विकास कार्यों की निरंतरता सुनिश्चित करना है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि समवर्ती चुनाव संसाधनों के बेहतर उपयोग, नीतिगत स्थिरता तथा निवेश-अनुकूल वातावरण को प्रोत्साहित कर सकते हैं। हालांकि, इसके सफल क्रियान्वयन के लिए संवैधानिक सुधार, राजनीतिक सहमति तथा संघीय ढाँचे के संरक्षण से जुड़ी चुनौतियों का समाधान आवश्यक है। अतः इसे चरणबद्ध, समावेशी एवं सहमति-आधारित दृष्टिकोण से लागू किया जाना चाहिए। समग्र रूप से यह व्यवस्था विकसित भारत@2047 के लक्ष्यों—सुशासन, प्रशासनिक दक्षता एवं सतत आर्थिक विकास—की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

संदर्भ सूची

1. बसु डीडी. भारत के संविधान का परिचय. 26वाँ संस्करण. नई दिल्ली: लेक्सिसनेक्सिस, 2021.
2. जैन एमपी. भारतीय संवैधानिक विधि. नवम संस्करण. नई दिल्ली: लेक्सिसनेक्सिस, 2022.
3. Downs A. An Economic Theory of Democracy. New York: Harper and Row, 1957.
4. Schumpeter JA. Capitalism, Socialism and Democracy. New York: Harper & Brothers, 1942.
5. Dahl RA. Democracy and Its Critics. New Haven: Yale University Press, 1989.
6. Lijphart A. Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries. 2nd ed. New Haven: Yale University Press, 2012.
7. Norris P. Why Electoral Integrity Matters. New York: Cambridge University Press, 2014.

8. Birch S. Electoral Malpractice. Oxford: Oxford University Press, 2011.
9. Reynolds A, Reilly B, Ellis A. Electoral System Design: The New International IDEA Handbook. Stockholm: International IDEA, 2008.
10. सिंह बी, कुमार आर. भारत में समवर्ती चुनाव: अवसर एवं चुनौतियाँ. इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. 2021;67(3):412-425.
11. शर्मा ए. एक राष्ट्र, एक चुनाव और भारत में लोकतांत्रिक शासन. जर्नल ऑफ गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी. 2020;5(2):45-58.
12. Elklit J, Reynolds A. A framework for the systematic study of election quality. Democratization. 2005;12(2):147-162.
13. Birch S, Daxecker U, Höglund K. Electoral violence, risk and democratic stability. International IDEA Research Series, 2020.
14. भारत सरकार. विकसित भारत@2047: दृष्टि दस्तावेज. नई दिल्ली: भारत सरकार, 2024.
15. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार. आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24. नई दिल्ली: भारत सरकार, 2024.
16. भारतीय रिज़र्व बैंक. भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति एवं संभावनाएँ. मुंबई: भारतीय रिज़र्व बैंक, 2024.
17. पंचायती राज मंत्रालय. वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23. नई दिल्ली: भारत सरकार, 2023.
18. आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय. भारत में शहरी स्थानीय शासन: वार्षिक प्रतिवेदन. नई दिल्ली: भारत सरकार, 2023.
19. द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग. सुशासन एवं नैतिक शासन संबंधी प्रतिवेदन. नई दिल्ली: भारत सरकार, 2008.
20. भारत निर्वाचन आयोग. लोकसभा चुनाव 2024: सांख्यिकीय प्रतिवेदन. नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग, 2024.
21. भारत निर्वाचन आयोग. भारत में चुनावी प्रबंधन एवं निर्वाचन प्रक्रिया संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन. नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग, 2024.
22. भारत निर्वाचन आयोग. विधानसभा चुनावों की सांख्यिकीय रिपोर्टें. नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग, 2023.
23. उच्च स्तरीय समिति (अध्यक्ष: रामनाथ कोविंद). एक राष्ट्र, एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट. नई दिल्ली: भारत सरकार, 2024.
24. नीति आयोग. एक राष्ट्र, एक चुनाव: विश्लेषण एवं संभावनाएँ. नई दिल्ली: भारत सरकार, 2017.
25. भारत विधि आयोग. समवर्ती चुनावों पर प्रारूप कार्यपत्र (Draft Working Paper on Simultaneous Elections). नई दिल्ली: विधि आयोग, 2018.
26. प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB). एक राष्ट्र, एक चुनाव: प्रमुख विशेषताएँ एवं नीतिगत ढाँचा. नई दिल्ली: भारत सरकार, 2024.
27. Centre for Media Studies. Election Expenditure and Campaign Finance in India: Lok Sabha Election 2024. New Delhi: Centre for Media Studies, 2024.
28. International Institute for Democracy and Electoral Assistance. Electoral System Design Database. Stockholm: International IDEA, 2023.
29. United Nations Development Programme. Governance for Sustainable Development. New York: UNDP, 2022.
30. International IDEA. Electoral Violence: Risk, Prevention and Management. Stockholm: International IDEA, 2020.
31. World Bank. World Development Report 2024: Institutions, Governance and Economic Growth. Washington, DC: World Bank, 2024.
32. International Monetary Fund. World Economic Outlook 2024. Washington, DC: IMF, 2024.
33. Organisation for Economic Co-operation and Development. Government at a Glance 2022. Paris: OECD Publishing, 2022.
34. Organisation for Economic Co-operation and Development. Government at a Glance: South-East Asia 2023. Paris: OECD Publishing, 2023.